राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3396/2023

श्री देवी नागर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर।
2. ब्लॉक प्रा. शिक्षा अधिकारी शाहपुरा।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय भीलवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.12.2023
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकम्पा के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 08.05.2007 को हुई थी। अपीलार्थी को नियुक्ति के दूसरे दिन ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भेज दिया गया। अपीलार्थी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक की योग्यता 12वी पास होने के कारण पदोन्नति की मांग की गई। अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2013 में की जानी थी। अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में की सूची के क्रम संख्या 15 पर नाम अंकित था। अपीलार्थी को वर्ष 2019–2020 की पदोन्नति में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी के बार बार अभ्यावेदन देने के पश्चात भी पदोन्नति नही हुई। माननीय अधिकरण की पालना में अपीलार्थी की कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति 2021–22 में की गई इस पर अपीलार्थी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति होकर दिनांक 28.07.2021 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने के उपरान्त अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को वर्ष 2013 से पदोन्नति दी जाकर पदोन्नति का लाभ एवं परिलाभ दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परंतु उस पर कोई विचार नहीं करके आज दिनांक तक निस्तारण नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2013 से सम्पूर्ण लाभ एवं परिलाभ दिया जाकर एवं ऐरियर पर 18 प्रतिशत मय ब्याज दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य